कुई

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 23/12/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई 23/12/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार बांदीकुई ने अपने पत्र क्रमांक 6059 दिनांक 05/09/2024 के द्वारा प्रकरण की विवादित भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त होना बताया। अतः प्रार्थी वकील बहस परमनन करते, पत्रावली व तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर खारिज पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 23/12/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

घस्या तहसील

न्यु एक्ट इस
के आराजी
र वाके रामा
की सीमाज्ञान
न्न नहीं हो
ी भी प्रकार
क्षेत्राधिकार
अर्ज है कि
थरगढी की

की गयी।
पोर्ट प्राप्त
696 / 50
न्यायालय
नी संभव
बडियाल
हैक्टेयर

का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो इसलिये उक्त भूमि की पत्थर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 96/2024
प्रकरण दायर दिनांक 04.07.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक 23.12.2024

उनवान

1. परमी देवी पत्नि गणपतलाल जाति मीणा निवासी मेडी का बास मूण्डघिस्या तहसील बांदीकुई

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बांदीकुई

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.लैण्ड रेवन्यु एक्ट"

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया की भूमि खाता संख्या पुराना 34 नया 44 के आराजी खसरा नं. 696/50 रकबा 1.00 हैक्टेयर कुल किता एक कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके रामा मूण्डघिस्या तहसील बांदीकुई में स्थित है। दिनांक 22.07.2022 को उक्त भूमि की सीमाज्ञान हो चुका है। प्रार्थीया शांतिप्रिय व्यक्ति है किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो इसलिये उक्त भूमि की पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। भूमि मुतदाविया न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में है एवं प्रार्थना पत्र अंदर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र सेवा में पेश कर अर्ज है कि आराजी खसरा नं. 696/50 रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके रामा मूण्डघिस्या की पत्थरगढी की जावें।

प्रार्थीया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस की गयी। प्रकरण में तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र क्रमांक 6059 दिनांक 05.09.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बांदीकुई ने अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया कि आराजी खसरा नं. 696/50 रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। प्रार्थिया द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर कब्जा प्राप्त करने के पश्चात ही पत्थरगढी की कार्यवाही की जानी संभव है। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के संलग्न पटवारी हल्का मूण्डघिस्या एव भू.अ.नि. बडियाल कलां की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मूण्डघिस्या के आराजी खसरा नं. 696/50 रकबा 1.00 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

किस्म भूमि बंजड परमी देवी पत्नि गणपतलाल जाति मीना सा. मैडी का बास खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 22.07.2022 को हो चुका है। मौके पर उक्त भूमि समतल है। उक्त भूमि पर खातेदार के अलावा अन्य दीगर व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थी प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत् 2075–78 ग्राम मूण्डघिस्या खाता संख्या नया 44 पुराना 34, मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम मूण्डघिस्या दिनांक 22.07.2022 एवं तहसीलदार बॉदीकुई की रिपोर्ट दिनांकः 05.09.2024 का अवलोकन किया। राजस्व जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता संख्या नया 44 पुराना 34 की परमी देवी पत्नि गणपतलाल हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा. मेडी बास खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम मूण्डघिस्या दिनांक 22.07.2022 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। परंतु तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नं. 696/50 रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि पर पत्थरगढी हेतु प्रार्थीया का नियमानुसार कब्जाकाश्त होना आवश्यक है। अतः उक्त विवादग्रस्त भूमि पर अन्य दीगर व्यक्तियों का कब्जा काश्त होने से प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं. 696/50 रकबा 1.00 हैक्टेयर पर प्रार्थीया का कब्जेकाश्त नहीं होने के कारण प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

23/12/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner